भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3393

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

3393. श्री संदीपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने संबंधित अभिकरणों और ऑपरेटरों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया अनुरक्षण का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेषकर दादरा और नगर हवेली में मानक या मानदंड क्या हैं और कितनी बार समीक्षा की गई है; और
(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण कार्य में सुधार के लिए कोई नई निगरानी प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तथा विशेषकर दादरा और नगर हवेली एवं मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी एनएच खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य तंत्र विकसित किया है।

एनएच परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन विधियों से क्रियान्वित की जाती हैं, अर्थात (i) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग प्रोक्युर्मेंट और अनुबंध (ईपीसी)। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर यह सामान्य तौर पर 15 वर्ष है। रियायतग्राही परियोजना की रियायत अवधि के भीतर संबंधित एनएच खंडों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। केवल ईपीसी परियोजनाओं के मामले में, बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी) 5 वर्ष और

कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष है। टीओटी और इनविट परियोजनाओं के लिए, रखरखाव सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष है। संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) पर परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि आम तौर पर 9 वर्ष है।

ठेकेदार/ रियायतग्राही परियोजना की डीएलपी/रियायत अवधि के भीतर संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है। जबकि एसटीएमसी कार्य आम तौर पर 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्षों की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत ऐसे रखरखाव कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

सड़क की स्थिति में चिन्हित किए गए दोषों/समस्याओं की मरम्मत के साथ-साथ अन्य रखरखाव/मरम्मत कार्य ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाते हैं। परियोजनाओं की देखरेख के लिए तैनात प्राधिकरण इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर सहित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। डीएलपी/रियायत अवधि के दौरान गैर-अनुपालन के लिए, अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है या डीएलपी अवधि बढ़ा दी जाती है। जुर्माने के प्रावधानों में देय भुगतान कटौती, क्षति वसूली, निषेध/ब्लैकलिस्टिंग आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वन/तत्पर ऐप के माध्यम से ऐप आधारित निगरानी से आंतरिक हितधारकों (क्षेत्र अधिकारी/इंजीनियर/ठेकेदार/रियायतग्राही) द्वारा सीधे साइट से ही राजमार्ग परियोजना का कुशल प्रबंधन संभव हो पाता है। इसके लिए दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो प्रस्तुत करना और परीक्षण परिणामों को डिजिटल तरीके से अपलोड करना शामिल है।

अनुबंध- I

"राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण" के संबंध में श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3393 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत रखरखाव कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:-

					लंबाई किलोमीटर में / लागत करोड़ रूपये में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसटीएमसी कार्य**		**पीबीएमसी कार्य**	
		लंबाई	**लागत**	**लंबाई**	**लागत**
1	आंध्र प्रदेश	1,624	176	378	491
2	अरुणाचल प्रदेश	311	44	0	0
3	असम	845	120	145	221
4	बिहार	653	48	420	508
5	छत्तीसगढ	211	22	0	0
6	गोवा	119	18	6	22
7	गुजरात	1,296	287	256	361
8	हरियाणा	697	98	243	321
9	हिमाचल प्रदेश	452	57	0	0
10	झारखंड	223	21	104	69
11	कर्नाटक	1,028	104	172	242
12	केरल	17	1	0	0
13	मध्य प्रदेश	1,574	229	456	468
14	महाराष्ट्र	1,937	323	1,449	1,345
15	मणिपुर	177	28	0	0
16	मेघालय	45	6	8	3
17	मिजोरम	273	69	0	0
18	नागालैंड	182	79	0	0
19	ओडिशा	979	67	210	229
20	पंजाब	705	78	233	288
21	राजस्थान	517	144	736	679
22	सिक्किम	47	45	64	67
23	तमिलनाडु	1,380	169	97	105
24	तेलंगाना	370	24	406	352
25	त्रिपुरा	113	54	122	195
26	उत्तर प्रदेश	1,222	126	490	621
27	उत्तराखंड	237	77	0	0
28	पश्चिम बंगाल	546	283	94	131
29	जम्मू और कश्मीर	96	34	28	37
30	लद्दाख	6	10	0	0
31	पुदुचेरी	903	442	130	198
	कुल	**17,884**	**2,842**	**6,118**	**6,757**

*****